संख्या- 53 /2026 / 3770 /चार-2025- 2017955

प्रेषक,

मनोज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 11 फरवरी, 2026**

विषय:- प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के संयुक्त तत्वाधान में पुरातत्व एवं साहित्य के आलोक में भारतीय ज्ञान परम्परा विषयक दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 897/उ0प्र0सं0नि0-2(3)/2005-गो0 दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उप निदेशक, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर के पत्र संख्या- 254/रा0बौ0सं0गो0 (संगोष्ठी) दिनांक 09 दिसम्बर, 2025 के क्रम में प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के संयुक्त तत्वाधान में पुरातत्व एवं साहित्य के आलोक में भारतीय ज्ञान परम्परा विषयक दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार रू0 2.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है:-

क्र0	प्रस्तावित व्यय का विवरण	प्रस्तावित व्यय
1	संगोष्ठी स्मारिका पर व्यय	50,000.00
2	स्थानीय यात्राओं पर किराये की टैक्सी पर व्यय (तीन दिवस हेतु)	20,000.00
3	मुख्य वक्ताओं/ विशिष्ट अतिथियों हेतु शाल/ स्मृति चिन्ह/ मोमेंटो पर व्यय	20,000.00
4	प्रतिभागियों एवं मुख्य वक्ताओं हेतु सेमिनार किट पर व्यय	30,000.00
5	मुख्य वक्ताओं एवं प्रतिभागियों के आवास एवं भोजन व्यवस्था पर व्यय	70,000.00
6	बैकड्राप, स्टैण्डी फ्लेक्स/ बैनर, प्रमाण-पत्र एवं आमंत्रण कार्ड आदि पर व्यय	10,000.00
	योग (रूपये दो लाख मात्र)	2,00,000.00

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के संयुक्त तत्वाधान में पुरातत्व एवं साहित्य के आलोक में भारतीय ज्ञान परम्परा विषयक दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन हेतु **रू0 2.00 लाख (रूपये दो लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(4) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।
(6) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।
(7) संबंधित संस्था / वक्ताओं/ प्रतिभागियों आदि द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि का समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।
(8) उक्त धनराशि निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
(9) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-107-संग्रहालय -03-अधिष्ठान -42- अन्य व्यय मद (उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय) में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ/ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
4- उप निदेशक, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ।
6- आहरण एवं वितरण अधिकारी- संग्रहालयाध्यक्ष, लोक कला संग्रहालय, लखनऊ।
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in